भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 1981

क्र. 15-6-80-दस (2).—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शाई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य जीवों तथा उनका संरक्षण, विस्तार एवं विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राणी जाती तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है.

अतएव वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 35 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं वन विभाग की अधिसूचना क्र. 15-6-80-दस (2), दिनांक 24 दिसम्बर 1980 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को "संजय राष्ट्रीय उद्यान" गठित करने का उद्देश्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला.—सीधी एवं सरगुजा.

वनमण्डल का नाम.—सीधी, कोरिया, उत्तर सरगुजा एवं दक्षिण सरगुजा.

तहसील का नाम.—गोपद बनास, भरतपुर, बैकुण्ठपुर, एवं सूरजपुर.

परिक्षेत्र का नाम—सीधी, वन मण्डल के पोंडी एवं मोहन परिक्षेत्र का आंशिक भाग. कोरिया वन मण्डल के जनकपुर, कोटाडोल रामगढ़, सोनहत एवं कमर्जी का भाग तथा उत्तर सरगुजा वन मण्डल के बिहारपुर परिक्षेत्र का एवं दक्षिण सरगुजा वन मण्डल के कुदरगढ़ परिक्षेत्र का भाग.

राष्ट्रीय उद्यान का नाम.—"संजय राष्ट्रीय उद्यान"

राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल.—सीधी जिला.—466.882
सरगुजा जिला—1471.130

कुल क्षेत्रफल : 1938.012 वर्ग किलोमीटर

सीमा

उत्तर.—सीधी वनमण्डल के आरक्षित वनखण्ड मड़वास के मुनारा क्र. 315 से 346 तक फिर आरक्षित वनखण्ड खंदा भदौरा के मुनारा क्रमांक 1 से 74 तक फिर गोपद वन आरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 137 तक (अर्थात् बंका भुजा नाला तक). फिर बंकाभुजा नाला बहाव के विपरीत आ. वनखण्ड खंदा, भदौरा के मुं. क्र. 363 तक एवं मु. क्र. 363 से मुनारा क्रमांक 366 तक अर्थात् सल्वी नाला तक फिर सल्वी नाला होते हुये हर्रईग्राम की सीमा रेखा के मुनारा क्र. 27 के उत्तर तक एवं हर्रई घेरे के मिलान से हर्रई घेरे के सीमा का मु. क्र. 28 से मु. क्र. 68 तक एवं मु. क्र. 68 से मु. क्र. 1 तक तत्पश्चात् मु. क्र. 1 से 18 तक फिर आरक्षित वनखण्ड गोपद वन के मु. क्र. 380 तक एवं मु. क्र. 380 से 449 तक. तत्पश्चात् सीधी एवं सरगुजा जिले की सामान्य सीमा तक रेखा होते हुये नेऊर नदी के मिलान तक. तत्पश्चात नेऊर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में ककराधार नाले के संगम तक व ककराधार नाले के विपरीत दिशा में नाले के निकट स्थित कमर्जी आ. वनखण्ड का मु. क्र. 25 तक एवं मु. क्र. 25 से 134 तक एवं टिसकुली संरक्षित वनखण्ड का मु. क्र. 1 तक मु. क्र. 1 से मु. क्र. 25 तक जो गोइनी नदी पर स्थित है. गोइनी नदी के बहाव के विपरीत दिशा में (ओटना) आनंदपुर ग्राम की सीमा रेखा पर स्थित मुनारा क्रमांक 101 तक एवं मुनारा क्रमांक 101 से मुनारा क्रमांक 13 तक जो पलारी नाले पर स्थित है. तत्पश्चात् पलारी नाले के बहाव के विपरीत दिशा में सिरसोला नाले के संगम तक व सिरसोला नाले के बहाव के विपरीत दिशा में होते हुए चिलमघाट नाले पर स्थित दर्शर ग्राम का मुनारा क्रमांक 87 तक. मुनारा क्रमांक 87 से 16 तक जो चुनखाई नाले पर स्थित है फिर चुनखाई नाले [illegible] के दिशा में सरगुजा एवं सीधी जिले के सामान्य सीमा रेखा होते हुये उत्तर सरगुजा वनमण्डल बिहारपुर परिक्षेत्र के [illegible] वनखण्ड बेंगनपाट का मुनारा क्रमांक 175 तक एवं मुनारा क्रमांक 175 से मुनारा क्रमांक 166 तक जो खौरीनदी पर स्थित है.

पूर्व.—खौरी नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 166 से मुनारा क्रमांक 165 तक तथा मुनारा क्रमांक 165 से मुनारा क्रमांक 100 तक तथा मुनारा क्रमांक 100 से कक्ष क्रमांक 1101 एवं 1102 को सामान्य सीमा रेखा होते हुये मुनारा क्रमांक 79 तक एवं मु. क्र. 79 से मुनारा क्रमांक 36 तक एवं उमझर संरक्षित वनखण्ड का मु. क्र. 1 तक. मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 14 तक तथा मुनारा क्रमांक 14 से कुकुरभुकरा वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 119 तक एवं 119 से 107 तक तथा मुनारा क्रमांक 107 से प्राकृतिक सरहदी सीमा रेढ़िया नदी कुकुरभुकरा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 106 तक तथा मुनारा क्रमांक 106 से मुनारा क्रमांक 43 रेहर नदी तक. / कुकुरभुकरा संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 43 से प्राकृतिक सरहदी रेहर नदी से बारंगा एवं रेहर नदी के संगम तक तथा बारंगा नाला से कुकुरभुकरा संरक्षित वनखण्ड मु. क्र. 42 से 25 एवं महेरझोप वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से बारंगा नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 35 एवं बारंगा नदी के मुनारा क्रमांक 37 तक एवं जंगिया नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक

40 एवं मुनारा क्रमांक 41 उत्तर एवं दक्षिण सरगुजा के सामान्य सीमा तक तथा जंगिया नदी द्वारा प्रतिपादित सीमा संरक्षित वनखण्ड जंगिया मुनारा क्रमांक 65 तक एवं मुनारा क्रमांक 65 से प्राकृतिक सीमा जंगिया नदी एवं धुर्की नाला के मिलान तक एवं धुर्की नाला से जंगिया संरक्षित वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 64 तक एवं मुनारा क्रमांक 64 से बड़काकछार नाला पर स्थित मुनारा क्रमांक 48 तक एवं बड़का कछार नाला होते हुये जंगिया नदी के मिलान तक जंगिया नदी होते हुये जंगिया वनखण्ड के आंतरिक (इनकेलव) मुनारा क्रमांक 1 तक तथा मु. क्र. 1 से जंगिया वनखण्ड मु. क्र. 385 तक एवं मुनारा क्रमांक 385 से बड़काकछार नाला तक. बड़काकछार नाले के खाड़ा नाला के संगम होते हुये खाड़ा नाला के विपरीत दिशा में होते हुये कछाड़ी ग्राम के मुनारा क्रमांक 5 तक तथा मुनारा क्रमांक 5 से लोलकी ग्राम का मुनारा क्रमांक 25 तक तथा मुनारा क्रमांक 25 से मुनारा क्रमांक 1 तक व बड़काकछार नाले के बहाव के दिशा में छिंगुराधार नाले के संगम तक तथा छिंगुराधार नाला के बहाव के विपरीत दिशा में छिंगुरा ग्राम के उत्तरी सीमा पर स्थित पूर्व रामगढ़ संरक्षित वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 5 तक.

दक्षिण.—पूर्व रामगढ़ संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 28 एवं मेन्ड्रा आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 24 तक तत्पश्चात् मुनारा क्रमांक 24 से 45 तक तथा मुनारा क. 45 से राजदेवरा संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 35 तक. एवं मुनारा क्रमांक 35 से मुनारा क्रमांक 52 एवं कदरा आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 13 तक तथा मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 1 एवं राजदेवरा संरक्षित वन खंड का मुनारा क्रमांक 53 तक तथा मुनारा क्रमांक 53 से 71 एवं पेरीनाला तक पेरी नाला के बहाव के दिशा में गिधेर ग्राम का मुनारा क्रमांक 20 तक तथा मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा क्रमांक 1 तक तथा गिधेर ग्राम की उत्तरी सीमा पर मुनारा क्रमांक 50 तक तथा मुनारा क्रमांक 50 से मुनारा क्रमांक 40 तक जो पेरी नाला पर स्थित है. तत्पश्चात् पेरीनाला के बहाव के दिशा में बगतुला नाला के मिलान तक एवं बगतुला नाला के बहाव के विपरीत दिशा में चंदहा ग्राम की उत्तरी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 1 तक एवं मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक तथा मुनारा क्रमांक 131 से मुनारा क्रमांक 117 तक तत्पश्चात् बहेरातालो नाले के बहाव के दिशा में मुड़को नाले के मिलान तक. तत्पश्चात् मुड़को नाले के बहाव के विपरीत दिशा में जगसोत नाले के संगम तक एवं गरनई के निकट गवटीघोरा नाला के बहाव के दिशा में दलदला नाले तक. दलदला नाले के बहाव के विपरीत दिशा में पश्चिम रामगढ़ संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 151 तक तथा मुनारा क्रमांक 151 से पूर्व रामगढ़ संरक्षित वन खंड मुनारा क्रमांक 115 तक पूर्व रामगढ़ संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 115 से गोपद नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 23 तक आगे गोपद नदी होते हुए मुनारा क्रमांक 22 तक एवं मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 1 तक तथा मुनारा क्रमांक 1 से दसेर संरक्षित वन खंड के मुनारा क्रमांक 284 तक एवं मुनारा क्रमांक 284 से मुनारा क्रमांक 228 एवं गोपद नदी तक. आगे गोपद नदी के बहाव की दिशा में मुनारा क्रमांक 227 तक मुनारा क्रमांक 227 से रामनाले पर स्थित मुनारा क्रमांक 167 तक. आगे रामनाला के बहाव के दिशा में गोपद नदी के मिलान तक. तत्पश्चात् गोपद नदी गोईनो नदी के संगम तक. गोइनो नदी के संगम से गोपद नदी लोधारनाला के मिलान तक, आगे लोधारनाला के बहाव के विपरीत दिशा में संरक्षित वन खंड कटवार के मुनारा क्रमांक 30 तक एवं मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 1 तक. मुनारा क्रमांक 1 से देवसील झिरिया नाला होते हुए लोधार नाला के मिलान तक एवं लोधार नाला के बहाव के विपरीत दिशा में जोगोडाण्ड नाला के मिलान तक फिर जोगोडाण्ड नाला के बहाव के विपरीत दिशा में संरक्षित वन खंड देवसील के मुनारा क्रमांक 90 तक, मुनारा क्रमांक 90 से बडेरा आरक्षित, वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक, मुनारा क्रमांक 1 से गोइनो नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 43 तक, मुनारा क्रमांक 43 से गोइनो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में बडेरा आरक्षित वन खंड मुनारा क्रमांक 44 तक, मुनारा क्रमांक 44 से मुनारा क्रमांक 134 तक एवं सनबोरा नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 136 तक एवं मुनारा क्रमांक 136 से रोक ग्राम का मुनारा क्रमांक 70 तक तथा मुनारा क्रमांक 70 से 1 तक. तत्पश्चात् सनबोरा नाला होते हुए छतौडा आरक्षित वन खंड का मुनारा क्रमांक 183 से मुनारा क्रमांक 231 एवं झिंगा नाले से नेऊर नदी के मिलान तक. नेऊर नदी के बहाव के दिशा में नदी पर स्थित बनस्पत आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 123 तक तथा मुनारा क्रमांक 123 से मुनारा क्रमांक 271 तक.

पश्चिम.—कोरिया वन मंडल के आरक्षित वन खंड बनस्पत का मुनारा क्रमांक 271 से मुनारा क्रमांक 279 जो मवई नदी पर स्थित है यानी सीधी एवं सरगुजा जिले के सीमा तक. फिर सीधी वन मंडल के आरक्षित वन खंड मडवास के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 84 तक अर्थात् खगनी नाला तक फिर खगनी नाला से जैतीपानी नाला के मिलान तक और जैतीपानी नाला के साखा नाला तक तथा रकला नाला व सुन्दर नाला के मिलान तक एवं सुन्दरनाला बहाव की ओर देवकटक नाला के मिलान तक देवकटक नाला के बम्हन शिला नाला होते हुए शिकार नाला मिलान तक फिर सिधर नाला तथा रूंदोगरहो नाला के मिलान तक. फिर रूंदोगरहो नाला एवं नोदही धार नाला होते हुए आरक्षित वन खंड मडवाना मुनारा क्रमांक 301 तक एवं मुनारा क्रमांक 301 से आरक्षित वन खंड की सीमा रेखा होते हुए मुनारा क्रमांक 315 तक.

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वारासिवनी जो राजस्व जिला बालाघाट में पदस्थापित हैं, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

क्र. A-[illegible]-तीन-6-2-2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री जी. सी. शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, सागर जो सागर राजस्व जिले में पदस्थापित हैं, को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

क्र. A-1465-तीन-6-2-2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री शालिनी शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, सागर जो सागर राजस्व जिले में पदस्थापित हैं, को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

क्र. A-1467-तीन-6-2-2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री डी. के. दांगी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, सागर जो सागर राजस्व जिले में पदस्थापित हैं, को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बृज किशोर दुबे, एडीशनल रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2001

क्र. 15-16-2001-दस-2.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-6-80-दस-2, दिनांक 23 सितम्बर 1981 से संजय राष्ट्रीय उद्यान को गठित करने का उद्देश्य घोषित किया गया था. संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना सरगुजा जिले में स्थित क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होने से नये राज्य में आ जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य से दिनांक 1 नवम्बर 2000 से पृथक् किया जाता है. अब केवल नीचे परिशिष्ट में दर्शाया गया क्षेत्र संजय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यथावत बना रहेगा.

परिशिष्ट

जिले का नाम	सीधी
वन मंडल का नाम	पश्चिम सीधी
तहसील का नाम	कुसमी
परिक्षेत्र का नाम	वन मंडल पश्चिम सीधी के मड़वास एवं मोहन परिक्षेत्र का आंशिक भाग
राष्ट्रीय उद्यान का नाम	संजय राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल	466.657 वर्ग किलोमीटर

सीमा

उत्तर :—पश्चिम सीधी वन मंडल के आरक्षित वनखंड मड़वास के मुनारा क्रमांक 315 से 346 तक, फिर आरक्षित वनखंड रुन्दा-भदौरा के मुनारा क्रमांक 1 से 74 तक, फिर आरक्षित वनखंड गोपद वन के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 137 तक (अर्थात् बंका भुजा नाला तक) फिर बंका भुजा नाला के बहाव के विपरीत आरक्षित वनखंड रुन्दा भदौरा के मुनारा क्रमांक 363 तक, एवं मुनारा क्रमांक 363 से मुनारा क्रमांक 366 तक (अर्थात् सल्वी नाला तक).

पूर्व :—सल्वी नाला होते हुए हर्रई ग्राम की सीमा रेखा के मुनारा क्रमांक 27 के उत्तर तक एवं हर्रई घेरे के मिलान से हर्रई घेर की सीमा के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 68 तक एवं मुनारा क्रमांक 68 से मुनार क्रमांक 1 तक. तत्पश्चात् मुनारा क्रमांक 1 से 18 तक फिर आरक्षित वनखंड गोपद वन के मुनारा क्रमांक 380 तक एवं मुनारा क्रमांक 380 से 449 तक जहां मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य सीमा बनती है.

दक्षिण :—मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य सीमा के साथ-साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सीधी जिले के आरक्षित वनखंड मड़वास के प्रकोष्ठ क्रमांक 321 की दक्षिणी सीमा तक, जहां मवई नदी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य को सामान्य सीमा बनाती है.

पश्चिम :—मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से पश्चिमी सीधी वन मंडल के आरक्षित वनखंड मड़वास के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 84 तक अर्थात् खगनी नाला तक, फिर खगनी नाला से जमती पानी नाला के मिलान तक और जमती पानी नाला के शाखा नाला तक तथा रकला नाला व सुन्दर नाला के मिलान तक एवं सुन्दर नाला के बहाव की ओर देवकटक नाला के मिलान तक, देवकटक नाला से बकुन शिला नाला होते हुए सिंधार नाला के मिलान तक, फिर सिंधार नाला तथा रूंदोगरही नाला के मिलान तक, फिर रूंदोगरही नाला एवं नोदही धार नाला होते हुये आरक्षित वनखंड मड़वास मुनारा क्रमांक 301 तक एवं मुनारा क्रमांक 301 से आरक्षित वनखंड मड़वास की सीमा रेखा होते हुए मुनारा क्रमांक 315 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible]

56

Sanjay T.R.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

: : आदेश : :–

क्रमांक/एफ.15–5/2003/10–2 भोपाल, दिनांक 08/09/2006

वन महानिरीक्षक एवं संचालक प्रोजेक्ट टाईगर, भारत शासन के पत्र क्रमांक 3–1/2003–पी.टी. दिनांक 16/06/2006 के द्वारा संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी तथा संजय दुबरी, वन्यप्राणी अभयारण्य सीधी को सैद्धांतिक तौर पर भारत शासन की प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किये जाने की दी गई सूचना के आधार पर राज्य शासन संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य सीधी के निम्नानुसार क्षेत्रों को "संजय टाईगर रिजर्व" घोषित करता है :–

1. कोर क्षेत्र :

(क)	संजय राष्ट्रीय उद्यान	:	रकबा 466.657 वर्ग किलो मीटीर
(ख)	संजय दुबरी अभयारण्य	:	रकबा 364.593 वर्ग किलो मीटर
		योग:–	831.250 वर्ग किलो मीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(एल.एम.बेलवाल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक/एफ.15–5/2003/10–2 भोपाल, दिनांक 08/09/2006

प्रतिलिपि:–

1. वन महानिरीक्षक एवं संचालक प्रोजेक्ट टाईगर, भारत शासन, बीकानेर हाउस, एनेक्सी 5, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011 की ओर आपके पत्र क्रमांक 3–1/2003–पी.टी. दिनांक 16 जून, 2006 के सातत्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी मध्यप्रदेश भोपाल,
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश
5. समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश।
6. संचालक, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग